ग्राम बंधौली, तहसील उरई, जनपद–जालौन के खण्ड संख्या–02 पर 20.23 हेक्टेयर (50 एकड़) क्षेत्रफल में श्रीमती मोती बाई पत्नी श्री राम अवतार सिंह प्रस्तावित पट्टाधारक की सैंड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर आयोजित लोकसुनवाई दिनांक–13.07.2012 का कार्यवृत्त

उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित सैंड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बंधी प्रस्ताव उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक–14.9.2006 यथासंशोधित एस.ओ.–3067 दिनांक–01.12.2009 के अनुपालन में लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी जालौन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई दिनांक–13.07.2012 को ग्राम बंधौली, तहसील–उरई, जनपद–जालौन में आयोजित करने सम्बंधी प्राप्त निर्देश के अनुपालन में लोक सुनवाई संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत लोकसुनवाई की तिथि से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' के कानपुर संस्करण में दिनांक–10.6.2012 को एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ''द टाइम्स ऑफ इण्डिया'' के लखनऊ संस्करण में दिनांक–11.6.2012 में प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक–13.7.2012 को जिलाधिकारी जालौन द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, श्री लोक पाल सिंह की अध्यक्षता में अपरान्ह 02.00 बजे से प्रस्तावित खनन स्थल के समीप ग्राम बंधौली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गयी।

उक्त लोकसुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री लोक पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, जनपद–जालौन।
2. श्री राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
3. डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
4. श्री महेन्द्र पाण्डेय, परामर्शी मे0 इण्ड टेक हाउस कन्सल्ट, रोहिणी, दिल्ली।
5. अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के प्रारम्भ में उपस्थित जनसमुदाय को डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0 प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड, झांसी द्वारा अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के पश्चात्, प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि बेतवा नदी के ग्राम बंधौली में श्रीमती मोती बाई द्वारा सैण्ड/मोरम माइनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड में प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी जालौन से लोक सुनवाई की तिथि नियत करने सम्बंधी पत्र प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी जालौन द्वारा दिनांक–13.7.2012 को लोकसुनवाई आयोजित किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। पट्टेधारक द्वारा मे0 इण्ड टेक हाउस कन्सल्ट, रोहिणी, दिल्ली को पर्यावरणीय प्रभाव

मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने हेतु परामर्शी नियुक्त किया गया था। परामर्शी द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आकड़ों का एकत्रण कर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना बोर्ड में प्रेषित की गयी थी। उक्त आकड़ों को लोकसुनवाई में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराने हेतु डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा परामर्शी को निर्देश दिये गये।

परामर्शी द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा खनन कार्य से पड़ने वाले प्रभावों के सम्बंध में अवगत कराया गया कि एकत्रित ऑकड़ों से सुस्पष्ट है कि खनन क्षेत्र में 10 किमी की त्रिज्या में प्रदूषण का स्तर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि खनन कार्य से उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में पानी के छिड़काव एवं बालू को गीला कर ही परिवहन किया जाना प्राविधानित है। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में सुझाये गये उपायों के अनुरूप खनन/परिवहन का उपयोग इत्यादि कार्य किया जाता है तो पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डा0 टी0 एन सिंह द्वारा लोकसुनवाई में अवगत कराया गया कि परामशी द्वारा बोर्ड में प्रेषित पर्यावणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय योजना के अनुसार 03 मीटर की हराई तक अथवा भूगर्भ जल के मिलने तक अथवा दोनों में जो कम हो तक ही खनन किया जाना प्राविधानित है, तथा यह भी प्राविधान किया गया है खनन कार्य में किसी भी तरह की मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जायेगा। समस्त खनन कार्य मजदूरों से ही कराया जायेगा तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण प्रबन्ध योजना में जो भी प्राविधान किये गये हैं, उन शर्तो के साथ ही पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु आवश्यक संस्तुति की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री राम गोपाल द्वारा परामर्शी से प्रस्तावित खनन क्षेत्र के आस-पास परिवेशीय वायु गुणता एवं ध्वनि गुणता का अनुश्रवण किन-किन स्थानों पर किया गया है तथा प्राप्त आकड़ों के अनुसार परिवेशीय वायु गुणता में निलंबित ठोस कणों, सल्फर डाईआक्साइड एवं नाईट्रोजन के आक्साइड्स की मात्रा कितनी पायी गयी ?

परामर्शी श्री पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया कि 10 किमी की त्रिज्या में विभिन्न स्थानों पर ध्वनि/वायु अनुश्रवण का कार्य किया गया था। प्राप्त आकड़े ईआईए रिपोर्ट में संग्रहित की गयी हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से सुस्पष्ट है कि वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण का स्तर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उक्त आकडों के अनुश्रवण से सम्बंधित ग्रामीणों से पूछ-ताछ की गयी परन्तु किसी भी ग्रामीण द्वारा अनुश्रवण किये जाने से सम्बंधित पुष्टि नहीं की गयी। ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि परामर्शी द्वारा गॉव के किसी भी व्यक्ति के सामने आकड़ों

का एकत्रण नहीं किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उक्त आकड़ों के एकत्रण स्थलों के सम्बंध में अंतिम ई0आई0ए0 रिपोर्ट में सूचना अंकित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि वायु अनुश्रवण हेतु 08 घंटे का प्राविधान है परन्तु विद्युत उपलब्धता न होने के कारण मात्र 3 घंटे में ही अनुश्रवण कार्य विभिन्न स्थलों पर सम्पादित किया गया था।

डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा ग्रामीणों से उक्त सम्बंध में अपनी आपत्तियॉ/सुझाव क्रम से प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार ग्राम–बंधौली द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे गॉव के आस–पास नदी की तलहटी में एवं निजी भूमि पर लगभग 25 वर्षो से खनन कार्य चल रहा है। खनित मौरम के परिवहन में प्रयुक्त ट्रकों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के कारण प्रतिवर्ष फसले नष्ट हो जाती हैं। खनन से मिलने वाले राजस्व का 05 प्रतिशत ग्राम सभा के विकास हेतु प्राविधानित है परन्तु खनिज निधि से कोई भी धन आज तक इस ग्राम सभा को विकास कार्यो हेतु नहीं दिया गया है। ट्रकों के आवागमन से सड़के बुरी तरह से प्रभावित हैं जिससे ग्रामीणों को जनपद मुख्यालय तक पहुॅचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह–जगह पर रोड जाम हो जाता है। सड़कें एक लेन की हैं अतः जाम की समस्या सदैव बनी रहती है। ग्राम प्रधान द्वारा गॉव से गुजरने वाली सड़क को सीसी/पक्की कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जानमाल की समस्या सुरक्षा हो सके।

ग्राम प्रधान द्वारा उपस्थित परामर्शी से पूछा गया कि आप द्वारा जो भी अनुश्रवण कार्य किया गया है व किन–किन स्थानों पर व कब किया गया है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना हमें प्राप्त नहीं है और न ही किसी भी ग्राम सभावासी द्वारा उक्त अनुश्रवण के सम्बन्ध मे पुष्टि की गयी।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि अनुश्रवण का कार्य 10 किमी की त्रिज्या में विभन्न स्थलों पर किया गया है तथा प्राप्त आकड़ों के अनुसार खनन क्षेत्र के आस–पास ध्वनि/वायु प्रदूषण का स्तर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परामर्शी से पूछा गया कि ट्रकों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में किन–किन उपायों का प्राविधान किया गया है?

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि धूल के नियंत्रण हेतु पानी के छिड़काव की व्यवस्था प्राविधानित है।

ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि धूल के नियंत्रण हेतु मात्र पानी का छिड़काव ही पर्याप्त नहीं है। गॉव से गुजरने वाली सड़क को सीसी/पक्का कराया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया कि आप द्वारा माँगी गयी समस्त समस्याओं के समाधान हेतु शासन को आवश्यक संस्तुति प्रेषित की जायेगी जिससे कि खनन/परिवहन से ग्रामीणों को असुविधा न हो एवं पर्यावरण भी प्रभावित न हो।

डा0 सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामीणों की समस्याओं/सुझावों के सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रकट करने तथा उसके निराकरण हेतु प्रस्तावित करवाई के सम्बन्ध में आश्वासन देने का अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि खनन का कार्य नियमानुसार ही किया जायेगा। यदि नियम के विरुद्ध खनन कार्य/अवैध कार्य किया जाता पाया गया तो सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आरोपित शर्तो के अनुरुप ही खनन की अनुमति दी जायेगी तथा खनन कार्य से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के नियंत्रण हेतु समय-समय पर खनन कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा। नियमानुसार खनन कार्य नहीं किये जाने पर संबंधित पट्टाधारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिससे कि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हो। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासन हेतु आवश्यक उपाय किये जायेगें।

अंत में डा. टी. एन. सिंह द्वारा सभी उपस्थित को आश्वस्त किया गया कि कोई भी समस्या खनन कार्य से सामने आती है तो सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त के निराकरण हेतु सूचना दी जाये। जांच में सही पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

श्री सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी से सभा समाप्त किये जाने की अनुमति लेने के पश्चात् समस्त को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये लोकसुनसाई के समापन की घोषणा की गयी।

उपरोक्त कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सादर अग्रसारित।

(राम गोपाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झांसी।

(लोक पाल सिंह)
अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी
जनपद जालौन स्थान उरई।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
झांसी

(लोकपाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
जालौन स्थान उरई